उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः– 24.12.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति 5.0 : नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर महोबा पुलिस का सशक्त अभियान

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में “मिशन शक्ति अभियान फेज-5” के अन्तर्गत आज दिनांक- 24.12.2025 को जनपद महोबा में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विश्वास का वातावरण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

“मिशन शक्ति 5.0” अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त थानों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों, स्कूलों/कॉलेजों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की सक्रिय सहभागिता से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधी संसाधनों की जानकारी प्रदान की गई।

अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई आर्थिक सहायता योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, वन स्टॉप सेंटर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आदि की जानकारी पंपलेट के माध्यम से दी गई।

महिलाओं को पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे वीमेन पावर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, सीएम हेल्पलाइन-1076, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।

महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा, आत्मनिर्भरता की सोच और सम्मान का भाव विकसित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है।

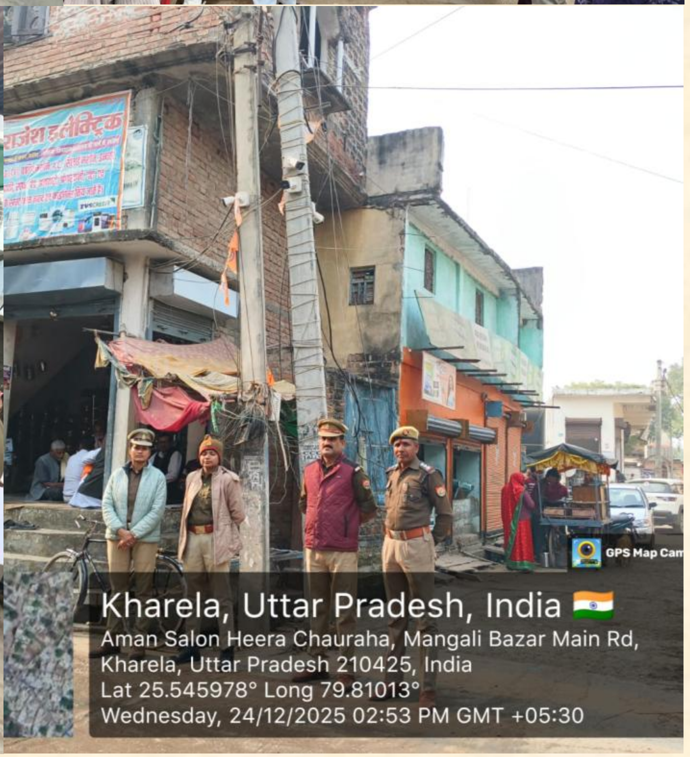

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः– 24.12.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

छात्राओं की आवाज़ बनेंगे थानों में संचालित मिशन शक्ति केन्द्र, विद्यालयों/कालेजों में स्थापित की जा रही हैं शिकायत पेटिकाएं...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत जनपद महोबा में छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को सशक्त बनाए जाने तथा उन्हें सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद के समस्त थानों में मिशन शक्ति केन्द्रों की स्थापना की गई है।

मिशन शक्ति केन्द्रों में नियुक्त महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों के विद्यालयों/कॉलेजों में नियमित भ्रमण कर अध्ययनरत छात्राओं से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया जा रहा है, जिससे वे अपनी समस्याओं, आशंकाओं एवं सुझावों को निर्भीक होकर साझा कर सकें।

इसी क्रम में सभी शिक्षण संस्थानों में मिशन शक्ति केन्द्रों के माध्यम से शिकायत/सुझाव पेटिकाएं स्थापित की जा रही हैं, जिनकी चाबी संबंधित थाने के मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारी के पास सुरक्षित रहेगी। इन पेटिकाओं के माध्यम से छात्राएं/बालिकाएं अपनी शिकायतें, समस्याएं एवं सुझाव पुलिस तक गोपनीय रूप से पहुँचा सकेंगी। उक्त पेटिकाओं को प्रत्येक 07 दिवस में खोला जाएगा, प्राप्त शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा शिकायतकर्ता की पहचान को पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाएगा।

इसी क्रम में आज दिनांक 24.12.2025 को मिशन शक्ति केन्द्र थाना चरखारी की पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र स्थित कस्तूरबा गांधी इंटर कॉलेज, चरखारी में शिकायत पेटिका स्थापित की गई। इस अवसर पर विद्यालय में अध्ययनरत एक छात्रा से शिकायत पेटिका का विधिवत उद्घाटन कर इसका शुभारंभ कराया गया, जिससे छात्राओं को यह संदेश दिया गया कि उनकी आवाज़ ही इस अभियान की सबसे बड़ी शक्ति है। इस अवसर पर महिला उप निरीक्षक नेहा विश्वकर्मा द्वारा छात्राओं को शिकायत पेटिका के उद्देश्य, उपयोग एवं गोपनीयता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई, जिससे छात्राएं बिना किसी भय के अपनी बात पुलिस तक पहुँचा सकें।

महोबा पुलिस का यह प्रयास महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक संवेदनशील, विश्वासपूर्ण एवं प्रभावी पहल है, जिसका उद्देश्य छात्राओं को आत्मविश्वास, सुरक्षा एवं सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना है।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांकः- 24.12.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।
- पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय ने किया दण्डित...।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप सिविल जज जू0डि0 चरखारी द्वारा अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित करते हुए आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व 1000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

विवरण निम्नवत है:-

थाना चरखारी में पंजीकृत मु0अ0सं0 347/2007 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त देवेन्द्र यादव पुत्र रामदीन यादव निवासी ग्राम टोला सोयम थाना चरखारी जनपद महोबा को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व 1000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

गम्भीर चोट पहुंचाने के अभियोग में आरोपी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया...।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप सिविल जज जू0डि0 चरखारी द्वारा गम्भीर चोट पहुंचाने के अभियोग में अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित करते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा व 1000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

विवरण निम्नवत है:-

थाना चरखारी में पंजीकृत मु0अ0सं0 184/2011 धारा- 338 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त मुन्ना पुत्र मैयादीन अहिरवार निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व 1000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।